[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (A) against serial number 4, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.
- (B) against serial number 5AB, in column (4), after the words "Any registered person", the words "other than a person who has opted to pay tax under composition levy" shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 13/2017 -Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 623(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 07/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 45(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर) को सा.का.िन. 685(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2024- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.िन. 625(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification number 10/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:-The principal notification number 10/2017 -Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 625(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 07/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 46(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि. 704(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) क्रम संख्या 5कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), को सा.का.िन. 704(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2024- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.िन. 624(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017 - Union Territory (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table,-

- (A) against serial number 4, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.
- (B) against serial number 5AB, in column (4), after the words "Any registered person", the words "other than a person who has opted to pay tax under composition levy" shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 13/2017 -Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Union Territory Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 624(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 08/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 47(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

- उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के मद (xxxvi) में दिया गया है।"
- 2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर (दर) को सा.का.िन. संख्या 696(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2023- केंद्रीय कर (दर), जिसे सा.का.िन. संख्या 771(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था. के माध्यम से संशोधन किया गया था।